

# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 79/2010/जयपुर

मैसर्स कोडक इण्डिया प्रा०लि०, एफ 85,  
पंचशील मार्ग, सुभाष मार्ग सी-स्कीम, जयपुर।  
बनाम

.....अपीलार्थी

सहायक आयुक्त,  
विशेष वृत राजस्थान, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ  
श्री खेमराज, अध्यक्ष  
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री विक्रम गोगरा, अभिभाषक।  
श्री रामकरण सिंह  
उप राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से.  
निर्णय दिनांक 07.06.2017

## निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 13.11.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, विशेष वृत, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) वर्ष 2006-07 के अन्तर्गत पारित आदेश के जरिये कायम की गयी मांग राशि को अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण निर्देशों के साथ कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने को विवादित किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य अवधि में तिमाही रिटर्न में राशि रूपये 69,78,095/- की विक्रय वापसी घोषित कर, कर से छूट चाही गयी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट 10 की जांच पर पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा वेट-10 में पेपर सब्सिडी के क्रेडिट नोट का उल्लेख किया जाकर इसे विक्रय वापसी घोषित किया गया है। किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पेपर सब्सिडी की पश्चातवर्ती छूट होने के कारण इसको विक्रय वापसी नहीं माना है तथा राशि रूपये 40,22,069/- पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर रूपये 5,02,759/- निर्धारित किया गया तथा इस क्रम में ब्याज राशि रूपये 1,50,827/- निर्धारित की है। शेष बिक्री वापसी राशि रूपये 29,56,026/- को साक्ष्य के अभाव में अस्वीकार किया जाकर इस विक्रय वापसी पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर रूपये 3,69,503/- आरोपित किया गया तथा इस क्रम में ब्याज राशि रूपये 1,10,850/- आरोपित की गई। जिससे व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील में विस्तृत निर्णय पारित करते हुए अपीलीय अधिकारी ने निर्देशों के साथ प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को अपने आदेश दिनांक 13.11.2009 द्वारा प्रतिप्रेषित किया। उक्त आदेश के विरुद्ध व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष अपील पेश की गई है।
4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अनुचित बतलाते हुए प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया। साथ ही उन्होंने निवेदन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13.11.2009 को प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रतिप्रेषित किये जाने की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 25.11.2011 द्वारा प्रकरण में विस्तृत आदेश पारित करते हुए अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की अनुपालना कर दी है, जिससे उनके द्वारा प्रस्तुत यह अपील निष्प्रभावी होने के कारण सारहीन हो जाती है।

3

5

लगातार.....2




6. प्रकरण में उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को उचित बतलाते हुए व्यवहारी की अपील खारिज करने का निवेदन किया।
7. उभयपक्ष की बहस, प्रस्तुत तथ्यों, प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
8. रिकॉर्ड का परिशीलन से विदित होता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि से संबंधित प्रस्तुत अपील को अपने आदेश दिनांक 13.11.2009 द्वारा प्रकरण को कतिपय निर्देशों के जरिये निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया था। निर्धारण अधिकारी ने प्रतिप्रेषित प्रकरण का निष्पादन अपने आदेश दिनांक 25.11.2011 को कर दिया। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त न्यायिक दृष्टांत 25 टैक्स अपडेट 59, जिसका संक्षिप्त सारांश निम्न प्रकार है :-


"In my opinion, no error has been committed by learned Tax board while rendering the appeal filed by the Department as infructuous in view of the fact that the Assistant Commissioner, Commercial Taxes has decided the matter finally on remand. Therefore, no interference is required in the impugned order."

9. उक्त न्यायिक दृष्टांत के तथ्य 9 आर.टी.जे.एस. 8 एवम् 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.) से भी मेल खाते हैं। राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय पीठ के उद्धरित निर्णय 38 टैक्स वर्ल्ड 16 के निर्णय तथा उपरोक्तानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में हस्तगत प्रकरण में दिनांक 25.11.2011 को निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की पालना में आदेश पारित किये जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत अपील "सारहीन" हो गयी है।

परिणामतः अपील "सारहीन" होने के कारण खारिज की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।

  
(मदन लाल)  
सदस्य

  
(खेमराज)  
अध्यक्ष